संख्या - 90 /461 /84-2-2013-सीपी 9/2011

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र.,
7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 02 दिसम्बर, 2013

विषय राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन द्वारा द्वितीय किस्त के सापेक्ष कराये गये कार्यो की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-424/निविमावि-आठ (सा0) नजारत/13, दिनांक 18 नवम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति, के 57/61, नवापुरा, वाराणसी को स्वीकृत द्वितीय किस्त की धनराशि की उपयोगिता सम्बन्धी जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-65/84-2-2012-सीपी 9/2011, दिनांक 02 मई, 2012 द्वारा प्रश्नगत स्वैच्छिक संगठन से शासनादेश संख्या-सीपी 776/84-2-2008-सीपी 16/2003, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर 2(4) में निर्धारित फांट के अनुसार धनराशि का उपयोग कर सदउपयोगिता प्रमाण पत्र शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त शपथ पत्र न ही स्वैच्छिक संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण में है और न ही आपके उक्त पत्र के साथ संलग्न है। अत: कृपया उक्तानुसार शपथ पत्र प्रश्नगत स्वैच्छिक संगठन से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in